BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 06 अगस्त, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के 04 आरोपी को आजीवन कारावास व 43,000-43,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. समीर पुत्र शाहिद 2. शाहिद पुत्र यामीन 3. आरिफ पुत्र यामीन 4. साकिब पुत्र इस्तियाक निवासीगण भैसरोली थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में अपने गांव निवासी वादी मुस्तकीम के घर में घुसकर लाईसेंसी राईफल से उसके पुत्र इरफान की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 24.11.2021 को थाना अगौता पर मुअसं- 249/2021 धारा-302,307,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बरामदगी के सम्बन्ध में मुअसं-250/21, 251/25, 253/25 व 254/25 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 17.01.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **दिनांक 06.08.2025 को न्यायाधीश डा0 सुरेश कुमार (मा0 न्यायालय एफटीसी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त समीर, शाहिद, आरिफ व साकिब को आजीवन कारावास व 43,000-43,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार का0 रंजीत कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अमित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।